(43)

1–मो0 हुसेन पिता समसुद्दीन निगरानी–3682/2018/रीवा/भू.रा.

2–तकदीर मोहम्मद पिता समसुद्दीन

दोनों निवासी ग्राम हटवा चक नं0 1 तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

----- निगरानीकर्तागण

बनाम

1–सिराजुद्दीन पिता युसुफ मोहम्मद

2–मुस0 सखिनिया बेबा समसुद्दीन

3–अली अहमद पिता जहूर मोहम्मद

4–मु0 खतुनिया बेबा जहूर मोहम्मद

सभी निवासी ग्राम हटवा चक नं0 1 तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

5–शासन म0प्र0

-----गैर निग0कर्तागण

श्री ... द्वारा आज दि. 5.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25.6.18 नियत।

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 04/05/18 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा जरिये प्र0 क्र0 183 /ए–6/14–15

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता।

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न प्रकार से है:–

1– यह कि प्रश्नास्पद आदेश विधि विरूद्व है एवं निरस्त योग्य है।

2– यह कि अपीलांट तहसील न्यायालय में बिनाा अनुमति एवं अधिकार के पक्षकार था, उसने शासन के पक्ष में नामांतरण का आवेदन दिया था, जवकि उसकी विधिक हैसियत प्रकरण में किसी भी प्रकार से नहीं बनती है। शासन के प्रतिनिधि ही आवेदन दे सकता है अन्य कोई बिना अनुमति के पक्षकार नहीं बन सकता है।

3– यह कि जब तहसील न्यायालय को यह ज्ञात हुंआ कि उक्त आ0 नं0 502 रकवा 0.55 ए0 सा0 हटवा चेक न0 1 का प्रकरण जो नामांतरण से ही सम्बन्धित है एस0डी0ओ0 के न्यायालय में लम्बित है तब उसे निरस्त कर दिया गया जो सही आदेश था और अपीलांट को न्यायालय के आदेश की जानकारी थी।

4– यह कि अपीलार्थी ने फिर तहसील के आदेश दिनांक 15/07/16 के विरूद्व अपील एस0डी0ओ0 के न्यायालय में प्रस्तुत किया और जो अपील अवधि बाधित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3682/2018/रीवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 183/अ-6/14-15 में पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	